न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 52/22 GCMS NO 2022/104

1. फरीमन पत्नि लियाकत अली जाति मुसलमान गद्दी निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. नवीयन बानो पत्नि आमीन खां जाति मुसलमान निवासी रेल्वे कालोनी कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. फूला देवी पत्नि कन्हैया लाल
2. विष्णु कुमार पुत्र कन्हैया लाल
3. पवन पुत्र कन्हैया लाल
4. ललिता पुत्री कन्हैया लाल
5. चित्रा पुत्री कन्हैया लाल
6. सुक्खी पुत्री कन्हैया लाल
7. रामस्वरूप पुत्र भागोता
8. रामधन पुत्र भागोता
9. रामकिशन पुत्र भागोता
10. केदार पुत्र भागोता
11. रमेश चंद पुत्र भागोता
12. हरकेश पुत्र भागोता
13. धनबाई पुत्री भागोता
14. फोरन्ती पुत्री भागोता जातियान माली निवासीयान ग्राम धनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर
15. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 58/15 निर्णय दिनांक 31.5.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री इंसाफ अली

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 14.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.5.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार [illegible] प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 व अपीलांट संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक प्रा[illegible] पत्र [illegible]थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के आधिपत्[illegible]8 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा मे से 1 बीघा भूमि पर भौतिक [illegible] रहा है। साबिक ख0नं0 [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पास मे साबिक ख0न0 1184 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा पर भौतिक कब्जा काश्त होने के कारण ख0न0 1188 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा पर प्रार्थीयां संख्या एक का अपने ससुर रामपाल पुत्र चोखा माली के जीवनकाल से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीयां ने हाल ट्रेसशीट के अनुसार भौतिक काश्त की भूमि ख0न0 1945 रकबा 0.19 है0, 1945/2651 रकबा 0.01 है0, 1946 रकबा 0.14 है0, 1947 रकबा 0.28 है0, 1944 रकबा 0.13 है0, 1944/2689 रकबा 0.08 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.83 है0 पर कदीमी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीयां ने उक्त भूमि के चारो ओर तारो की फेंसिग कर रखी है तथा तीन वर्षो से अमरूदो का बगीचा लगा रखा है। प्रार्थीयां ने हाल ख0न0 1945/2651 रकबा 0.01 है तीस वर्ष से पुख्ता कुआ खुदवा रखा है। जिससे प्रार्थीयां खेतो की पिलाई करती है। प्रार्थीयां ने पश्चिमी और के हिस्से मे नाले के सहारे देशी बबूल के 10 पेड खडे कर रखे है। जो करीब 20–25 वर्ष पुराने है। विवादित भूमि हाल ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 , ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 है0 से प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का कोई संबंध वास्ता नही है ना ही कभी रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने भू प्रबंध विभाग से मिलकर रकबा भी गलत दर्ज करवा दिया। क्योकि साबिक ख0न0 1188/2 रकबा 4 बीघा दर्ज था लेकिन भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0न0 1952 का रकबा 1.16 है0 के बजाय रकबा 0.93 है0 दर्ज कर दिया तथा ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 भी बिना भौतिक कब्जे के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को बेचान कर दिया। इसलिए प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को भी पक्षकार बनाया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने हाल ख0न0 1952 के चारो तरफ तारो की फेंसिग कर रखी है। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का भौतिक कब्जा भी हाल ख0न0 1952 पर ही प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि हाल ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 से प्रार्थीगण का कभी कोई संबंध नही रहा है। प्रार्थीयां को फर्जी विकय पत्र की जानकारी नही थी । प्रार्थीयां ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कई बार मुताबिक कब्जा दुरूस्ती कराने के लिए कहा तो उनके द्वारा टालमटोल जबाब दिया गया। इस प्रकार मौके पर कभी विवाद नही होने के कारण प्रार्थीयां ने राजस्व रिकार्ड का मिलान मौके के अनुसार नही किया। लेकिन अप्रार्थीगण 1 ता 9 द्वारा गुपचुप तरीके से प्रार्थीयां की भूमि को बेचने से विवाद उत्पन्न हुआ। प्रार्थीयां को अप्राथीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी गई। प्रार्थीयां को कानूनन हक प्राप्त है कि कदीमी समय से प्रार्थीयान के काश्त मे चली आ रही कृषि भूमि हाल ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 , ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करवाने का अधिकार प्राप्त है साथ ही अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम धनोली से कुण्डेरा जाने वाली मुख्य सडक से प्रार्थीयां की पुख्ता चाह तक दर्शित रास्ते मे किसी तरह का अतिक्रमण नही करे एवं प्रार्थीयान के कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 व ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 मे प्रार्थीगण के अमरूदो के बगीचे मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर ... न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 10 व 11 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि आराजी साबिक ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 व 1944/2689 रकबा 0.08 है0 तथा 1952 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम धनोली जो रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 14 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसको अपीलांट ने रेस्पो0संख्या 9 व 10 रामकिशन व केदार पुत्रान भागोता का हिस्सा उपरोक्त ख0न0 की आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.8.15 को राशि 6,00,000/—लाख रूपये मे कय किया है। उक्त आराजी पर पहले रेस्पो0 संख्या 9 व 10 का भौतिक रूप से कब्जा काश्त था। वाद रजिस्टी अपीलांट का कब्जा काश्त व खातेदारी होते हुए भी एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट ने उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त व स्वामित्व एवं खातेदारी देखकर ही अपीलांट ने उक्त आराजी कय की थी तभी से अपीलांट का कब्जा काश्त व खातेदारी है तथा जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 28.8.15 के द्वारा मौके पर कब्जे के आधार पर अपीलांट के नाम उक्त आराजी का नामा0 संख्या 1016 दिनांक 22.9.15 तस्दीक हुआ है। जिसके आधार पर अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का कब्जा होते हुए एवं खातेदारी अपीलांट के नाम होते हुए भी पाबन्द किया गया है जो विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र ग्रामीणो के शपथ पत्र के आधार पर सेटलमेंट की गलती बताकर रिकार्डेड खातेदार को गलत रूप से पाबन्द किया गया है। भू प्रबंध विभाग ने जो खातेदार काबिज थे उसी के अनुसार खातेदारी अंकित की है। यदि सेटलमेंट की गलती थी तो उन्होने तब क्यो कार्यवाही नही की। सेटलमेंट का रिकार्ड आये 20 वर्ष से अधिक हो चुका है। अपीलांट के जमीन खरीदते ही दर्भावनावंश झूठा दावा पेश किया है। उनके मन मे बदनियती आ गई। और बिना किसी अधिकार के अपीलांट की कय शुदा आराजी के बिना किसी टाईटल के जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। इसका उनको कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति मे बनाई गई है। जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। उक्त मौका रिपोर्ट मनमानी व मिली भगत से मिथ्या रिपोर्ट पर स्थिति अलग है तथा मौका रिपोर्ट भी न्यायालय द्वारा तलब नही की गई है। समस्त कार्यवाही राजस्व कर्मचारियो से सांठ गाठ कर मिथ्या बनाई गई है। जो खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी [illegible] के कारण अपीलांट को समय पर नही हो सकी। इस प्रकार जानकारी प्राप्त होने [illegible] अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो/प्रार्थीगण के आधिपत्य की कृषि भूमि साबिक ख0न0 1188 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा मे से 1 बीघा भूमि पर भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक ख0न0 1188 के पास मे साबिक ख0न0 1184 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पर भौतिक कब्जा काश्त होने के कारण ख0न0 1188 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर रेस्पो/प्रार्थीयां संख्या एक का अपने ससुर रामपाल पुत्र चोखा माली के जीवनकाल से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। रेस्पो/प्रार्थीयां ने हाल ट्रेसशीट के अनुसार भौतिक काश्त की भूमि ख0न0 1945 रकबा 0.19 है0, 1945/2651 रकबा 0.01 है0, 1946 रकबा 0.14 है0, 1947 रकबा 0.28 है0, 1944 रकबा 0.13 है0, 1944/2689 रकबा 0.08 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.83 है0 पर कदीमी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। रेस्पो/प्रार्थीयां ने उक्त भूमि के चारो ओर तारो की फेंसिग कर रखी है तथा तीन वर्षो से अमरूदो का बगीचा लगा रखा है। रेस्पो/प्रार्थीयां ने हाल ख0न0 1945/2651 रकबा 0.01 है तीस वर्ष से पुख्ता कुआ खुदवा रखा है। जिससे रेस्पो/प्रार्थीयां खेतो की पिलाई करती है। रेस्पो/प्रार्थीयां ने पश्चिमी और के हिस्से मे नाले के सहारे देशी बबूल के 10 पेड खडे कर रखे है। जो करीब 20–25 वर्ष पुराने है। विवादित भूमि हाल ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 , ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 है0 से अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का कोई संबंध वास्ता नही है न ही कभी रहा है। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने भू प्रबंध विभाग से मिलकर रकबा भी गलत दर्ज करवा दिया। क्योकि साबिक ख0न0 1188/2 रकबा 4 बीघा दर्ज था लेकिन भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0न0 1952 का रकबा 1.16 है0 के बजाय रकबा 0.93 है0 दर्ज कर दिया तथा ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 भी बिना भौतिक कब्जे के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को बेचान कर दिया। इसलिए प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को भी पक्षकार बनाया गया था। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने हाल ख0न0 1952 के चारो तरफ तारो की फेंसिग कर रखी है। क्योकि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का भौतिक कब्जा भी हाल ख0न0 1952 पर ही रेस्पो/प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि हाल ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 से अन्य किसी का कोई संबंध वास्ता नही रहा है।"। रेस्पो/प्रार्थीयां को फर्जी विक्रय पत्र की जानकारी नही थी । रेस्पो/प्रार्थीयां ने अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कई बार मुताबिक कब्जा दुरूस्ती कराने के लिए कहा तो उनके द्वारा टालमटोल जबाब दिया गया। मौके पर आपस मे विवाद उत्पन्न होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.10.15 को रेस्पो/प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर एंवं पडोसियो द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पेश किये जाने पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 31.5.19 को उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पत्रावली पर सुनी जाकर आराजी ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0, 1944/26[illegible] 0.08 है0 कुल रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम धनोली की भूमि प्रार्थीयां के [illegible] संख्या 1 ता 9 ने अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थीयां के कब्जे के बारे मे किसी प्रकार की आपत्ति नही किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थीयां का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीयां/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे भूमि ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 व 1944/2689 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम धनोली के अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर उक्त आराजीयात के बाबत अप्रार्थी/रेस्पो0 को पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाई गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 1944 व 1944/2686 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला वाद पत्र अप्रार्थीगण को कायम रखने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र ख0न0 1944 व 1944/2689 की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये थे परन्तु तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा सम्पूर्ण खसरे किता 10 रकबा 2.06 है0 पर ताफैसला दावा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति का अंकन कर दिया गया एवं अपीलांट का नाम जमाबंदी से ही हजफ कर दिया गया है। जो प्रस्तुत जमाबंदी आधार सम्वत 2073-2076 से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त विवेचन से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय मे आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 58/15 निर्णय दिनांक 31.5.19 मे आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजीयात ख0न0 1944 रकबा 0.13 है0 व ख0न0 1944/2689 रकबा 0.08 है0 की ताफैसला दावा यथास्थिति कायम रखी जाती है तथा जमाबंदी सम्वत 2073-76 मे अंकित अन्य आराजीयात पर अंकित स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner